पाठ - 4
शिकार का हुक्म

الدرس الرابع - هندي
الصيد

ज़रूरत के तहत शिकार करना जायज़ है लेकिन खेल तमाशे व मनोरंजन के लिए शिकार करना मकरूह है। शिकार के घायल हो जाने और पकड़ लिए जाने के बाद उसकी दो हालतें हो सकती हैं।

1. शिकार इस हाल में पकड़ा जाए जबकि उसके अन्दर ज़िन्दगी की रमक़ मौजूद हो। ऐसे शिकार को ज़बह करना ज़रूरी है।

2. या फिर शिकार ऐसी हालत में मिले जबकि वह मर चुका हो या फिर उसके अन्दर ज़िन्दगी की मामूली रमक़ हो तो वह इस हालत में भी हलाल होगा।

शिकार के लिए भी वही शर्तें हैं जो ज़बह के लिए हैं।

1. अर्थात यह कि वह आक़िल, मुसलमान या किताबी हो। मुसलमान के लिए उस शिकार को खाना जायज़ नहीं है जिसे पागल या नशे में मदहोश या मजूसी या मूर्ति पूजक या किसी दूसरे काफ़िरों ने शिकार किया हो।

2. हथियार का तेज़ होना भी शर्त है जिससे खून बह जाए। हड्डी या नाखून आदि को हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया गया हो। शिकार उस हथियार की धार से घायल हुआ हो न कि उसके बोझ से। जहां तक शिकारी कुत्ते और परिन्दे की बात है जिनसे शिकार किया जाता है तो यदि ये शिकारी जानवर सिखाए हुए हों तो इनका पकड़ा हुआ शिकार जायज़ है।

शिकारी कुत्ते या परिन्दे की तरबियत

यह है कि जब आप उसे शिकार की तरफ़ जाने को कहें तो वह शिकार पकड़ने के लिए चला जाए और शिकार को पकड़ने के बाद अपने मालिक के लिए उसे रोक कर रखे, यहां तक कि मालिक उसके पास पहुंच जाए, न यह कि वह अपने लिए शिकार को पकड़े।

3. शिकार के हथीयार को शिकार करने के इरादे से छोड़ा जाए, यदि शिकार का भाला हाथ से छूट जाए और उससे कोई जानवर क़त्ल हो जाए तो वह जानवर हलाल नहीं होगा क्यों कि शिकार करने का इरादा नहीं किया गया।

इसी तरह कुत्ता अपने आप शिकार की तरफ दौड़ जाए और उसे मार डाले तो वह शिकार हलाल नहीं होगा क्यों कि यहां भी शिकार करने का इरादा नज़र नहीं आता और मालिक ने उसे शिकार करने के लिए नहीं छोड़ा है। किसी ने एक शिकार पर निशाना लगाया वह निशाना दूसरे शिकार को लग गया या उस निशाने की वजह से कई परिन्दे या जानवर मर गए तो ये सारे के सारे हलाल होंगे।

चेतावनी : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल तीन कामों के लिए कुत्ता पालने की इजाज़त दी है अर्थात शिकार करने के लिए, चौपाए की निगरानी के लिए या खेती की निगरानी के लिए। इसके अलावा किसी और मक़सद से कुत्ता पालना हराम है।